जिला गव्य विकास कार्यालय, गढ़वा।

"पशुपालकों के लिए आम सुचना"

कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग(गव्य विकास), झारखण्ड सरकार, रांची के पत्रांक– 10(रा0) ,दिनांक– 01.06.2017 के आलोक में इच्छुक लघु उद्यमियों/युवा शिक्षित बेरोजगारों /स्वयं सहायता समूह/प्रगतिशील पशुपालकों /सखी मंडलों से अनुदानित दर पर 50 दुधारू गायों का व्यवसायिक डेयरी **(कांमधेनु डेयरी फार्मिंग)** तथा स्वच्छ दूध उत्पादन के लिए अत्याधुनिक डेयरी संयत्रों की स्थापना कर दूध उत्पादन कार्यक्रम को जिविकोपार्जन एवं स्वरोजगार के सशक्त साधन के रूप में स्थापित करने तथा राज्य को दूध उत्पादन में आत्मनिर्भर बनाने के लिए लाभुकों का चयन हेतु दिनांक – 22 .07.2017 तक प्रस्ताव/आवेदन जिला गव्य विकास कार्यालय,सोनपूरवा गढ़वा में आमंत्रित किया जाता है।

कामधेनु डेयरी फॉर्मिंग योजना का विवरणी निम्नवत् है।

क0 सं0	योजना	परियोजना लागत(रू0)	अनुदान	अनुदान राशि(रू0)	लाभुक अंशदान	बैंक ऋण (रू0)	अभ्युक्ति
1.	कामधेनु डेयरी फॉर्मिंग 50 गाय/भैंस(25+25)	5000000/-	25%	1250000/-	500000/-	3250000/-	सखी मंडलों के लिए
2.	कामधेनु डेयरी फॉर्मिंग 50 गाय/भैंस(25+25)	5000000/-	15%	750000/-	500000/-	3750000/-	व्यक्तिगत लाभुकों के लिए

योजना अर्न्तगत देय लाभ निम्नलिखित शर्तो पर उपलब्ध करायी जाएगी :–

1. लाभुकों का चयन में योजना बनाओ अभियान के लाभुकों को प्राथमिकता दी जायेगी।
2. इस योजना को प्राथमिकता के आधार पर झारखण्ड मिल्क फेडरेशन के कार्यक्षेत्र में कार्यरत/चिन्हित दुध पथों पर अवस्थित गाँव में क्रियान्वित किया जायेगा।
3. इस योजना का लाभ लेने हेतु कृषि विभाग द्वारा अधिष्ठापित सिंगल विण्डो सेन्टर के माध्यम से भी आवेदन किया जा सकता है।
4. लाभुकों के चयन में ग्राम पंचायत की अनुशंसा अनिवार्य होगी।
5. इस योजना अन्तर्गत बैंक ऋण की राशि के लिए लाभुकों के द्वारा नियमानुसार बैंक से ऋण प्राप्त किया जायेगा।
6. इस योजना का क्रियान्वयन उक्त राज्यादेश के आलोक में किया जायेगा।
7. इस योजना अन्तर्गत चयनित लघु उद्यमियों/युवा शिक्षित बेरोज़गारों /स्वयं सहायता समूह/प्रगतिशील पशुपालकों/सखी मंडल द्वारा कार्योपरांत अनुदान राशि उपलब्ध कराने हेतु दावा विपत्र दुधारू पशु क्रय एवं अन्य **components** के सम्पन्न का का फोटोग्राफ के साथ जिला गव्य विकास पदाधिकारी को उपलब्ध कराया जाएगा।
8. अनुदान राशि का भुगतान लाभुकों/ सखी मण्डलों को उनके बैंक खाता के माध्यम से किये जाने के पूर्व जिला गव्य विकास पदाधिकारी/ जिला पशुपालन पदाधिकारी/ उनके प्रतिनिधि तथा बैंक प्रतिनिधि द्वारा कार्योपरांत योजना का भौतिक सत्यापन सुनिश्चित किया जाएगा।
9. उपायुक्त की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा अंतिम रूप से लाभुकों का चयन किया जाएगा।
10. इस सूचना को गढ़वा जिला के वेवसाईट http://www.garhwa.nic.in पर भी देखा जा सकता है।

4/7/2017

जिला गव्य विकास पदाधिकारी

गढ़वा।